

7239/10

AM




सत्यमेव जयते

# INDIA NON JUDICIAL Government of Uttar Pradesh

## e-Stamp

Certificate No. : IN-UP04900592637013Q  
 Certificate Issued Date : 06-Aug-2018 01:27 PM  
 Account Reference : SHCIL (FI)/ upshcil01/ GORAKHPUR/ UP-GRK  
 Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUPSHCIL0105868935017242Q  
 Purchased by : ARBIT INFRATEL PVT LTD  
 Description of Document : Article 5 Agreement or Memorandum of an agreement  
 Property Description : ARAZI NO 1002 AND 1003 HOUSE NO 185 BASHARATPUR GORAKHPUR  
 Consideration Price (Rs.) :  
 First Party : ASHOK AGRAWAL AND MANISH AGRAWAL S O SUKHDEO PD  
 Second Party : ARBIT INFRATEL PVT LTD  
 Stamp Duty Paid By : ARBIT INFRATEL PVT LTD  
 Stamp Duty Amount(Rs.) : 31,07,000  
 (Thirty One Lakh Seven Thousand only)



.....Please write or type below this line.....

*Asude*

*manish Agrawal*

FOR ARBIT INFRATEL PVT. LTD.

*Abhishek Agrawal*

DIRECTOR

Verified By.....

Locked By.....

UP 0005569191

### Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp Certificate should be verified at "www.shcilestamp.com". Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.



STILL



"The contents of this certificate can be verified and authenticated world-wide by any members of the public at [www.shcilestamp.com](http://www.shcilestamp.com) or at any Authorised collection center address displayed at [www.shcilestamp.com](http://www.shcilestamp.com) free of cost."

"Any alteration to this certificate renders it invalid. Use of an altered certificate without all the security features could constitute a criminal offence"

"This document contains security features like coloured background with Lacey Geometric Flexible patterns and Subtle Logo images, Complex ornamental design borders, Anti - copy text, the appearance of micro printing, artificial watermarks and other Overt and Covert features."



7839882000



9415194655



9415211044



8200333333



9621593560

### बिल्डर्स एग्रीमेन्ट

- मूल्यांकन सूची का संक्षिप्त विवरण-
- भाग-2
- प्रारूप- 3
- क्रम संख्या- 9
- मौजा- बशारतपुर
- वी कोड- 0091
- असुरन चौराहा के बाद से एच0 एन0 सिंह चौराहा तक जाने वाली सड़क
- क्षेत्रफल - 14027 वर्ग फीट यानी 1303.625 वर्ग मीटर
- सामान्य निर्देश संख्या 31 (1) के अनुसार 0 से 500 वर्ग मीटर हेतु प्रभावी दर- रुपया 38000/- प्रति वर्ग मीटर
- सामान्य निर्देश संख्या 31 (2) के अनुसार 500 से अधिक 1000 वर्ग मीटर तक प्रभावी दर- रुपया 38000/- प्रति वर्ग मीटर - 15 प्रतिशत = रुपया 32300/- प्रति वर्ग मीटर
- सामान्य निर्देश संख्या 31 (3) के अनुसार 1000 वर्ग मीटर से अधिक अवशेष क्षेत्रफल हेतु प्रभावी दर- रुपया 38000/- प्रति वर्ग मीटर - 20 प्रतिशत = रुपया 30400/- प्रति वर्ग मीटर
- प्रथम 500 वर्ग मीटर का मूल्यांकन- रुपया 1,90,00,000/-
- द्वितीय 500 वर्ग मीटर का मूल्यांकन- रुपया 1,61,50,000/-



8400999999

*Ashok*

*manish Ag...*

FOR ARBITERFATEL PVT. LTD.  
*Abhi...*  
  
DIRECTOR



- अवशेष 303.625 वर्ग मीटर का मूल्यांकन— रुपया 92,31,000 /—
- कुल मूल्यांकन— रुपया 4,43,81,000 /—
- कुल स्टैम्प— रुपया 31,07,000 /—
- इस्टैम्प— रुपया 31,07,000 /—

हम कि अशोक अग्रवाल व मनीष अग्रवाल पुत्रगण सुखदेव प्रसाद निवासीगण मोहल्ला— दिलेजाकपुर, पोस्ट सदर, तहसील सदर, शहर व जनपद गोरखपुर के हैं, (जिन्हें कि इस विलेख में आगे भू-स्वामी/प्रथम पक्ष कहकर सम्बोधित किया गया है, जिसका अर्थ जब तक कि उसे विपरीत भाव में प्रयुक्त न किया गया हो भूस्वामी स्वयं, उनके उत्तराधिकारियों, विधिक प्रतिनिधियों एवं समनुदेशितों से लिया जावेगा)। ..... प्रथम पक्ष

तथा

आर्बिट इन्फ्राटेल प्रा0 लि0 41, हरिओमनगर फेज 2, सिविल लाइन्स, गोरखपुर द्वारा निदेशक अभिषेक अग्रवाल पुत्र श्री सीताराम अग्रवाल निवासी 41, हरिओमनगर फेज 2, सिविल लाइन्स, तहसील सदर, शहर व जिला— गोरखपुर के हैं, (जिन्हें कि इस विलेख में आगे बिल्डर/द्वितीय पक्ष कहकर सम्बोधित किया गया है जिसका अर्थ जब तक कि उसे विपरीत भाव में प्रयुक्त न किया गया हो बिल्डर स्वयं उनके उत्तराधिकारियों, विधिक प्रतिनिधियों एवं समनुदेशितों से लिया जायेगा)। .....द्वितीय पक्ष

विदित हो कि मौजा बशारतपुर, तप्पा कस्बा, परगना— हवेली, तहसील— सदर, जिला— गोरखपुर के आराजी संख्या 1002 व 1003 के रकबा 14027 वर्ग फीट यानी 1303.625 वर्ग मीटर को हम मुकिरान की माता श्रीमती निर्मला देवी ने दिनांक 25/02/1985 को निष्पादित बैनामा के द्वारा क्रय किया जो कार्यालय उपनिबन्धक गोरखपुर में दिनांक 11/03/1985 को बही संख्या 1, जिल्द संख्या 2571 पृष्ठ संख्या 54 से 57 के क्रमांक 2309 पर रजिस्ट्रीकृत हुआ और कालान्तर में हम मुकिरान की माता श्रीमती निर्मला देवी के मृत्योपरान्त उनके द्वारा निष्पादित वसीयतनामा दिनांक 06/02/2006 जो कार्यालय उपनिबन्धक गोरखपुर द्वितीय में दिनांक 07/02/2006 को बही संख्या III खण्ड 109 पृष्ठ 249 से 260 क्रम संख्या 49 पर निबन्धित है, के आधार पर हम मुकिरान उपरोक्त वर्णित भूमि के मालिक काबिज हुये व आज तक बतौर मालिक काबिज दखील चले आ रहे हैं। हम प्रथम पक्ष की इच्छा रही

*Ashok*  


*Manish Agrawal*  


FOR ARBIT INFRA TEL PVT. LTD.  
*Abhi Jit Singh*  
 DIRECTOR  





कि अपने हक व हिस्से की उपरंकित मिश्रित भूप्रयोग की भूमि पर एक बहुमंजिला भवन का निर्माण करवा लेंवे जिससे भविष्य में नियमित आय का स्रोत हो सके। हम मुकिरान ने अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिये गोरखपुर विकास प्राधिकरण गोरखपुर द्वारा तत्सम्बन्धी मानचित्र संख्या 739/2003 स्वीकृत कराया लेकिन हम प्रथम पक्ष, भवन निर्माण सम्बन्धी ज्ञान के अभाव व लगाने वाले खर्च के अभाव में अपनी इच्छानुसार भवन निर्माण नहीं करवा पा रहे हैं। अतएव प्रथम पक्ष बिषयाकित्त आराजी की भूमि पर एक बहुमंजिला भवन का निर्माण करवाने के लिये काफी दिनों से ऐसे व्यक्ति के तलाश में रहे जिसे भवन निर्माण करवाने का पर्याप्त अनुभव हो और जो अपना स्वयं का धन लगाकर बिषयाकित्त आराजी की भूमि पर एक बहुमंजिला भवन का निर्माण करवा देवे व अपने द्वारा लगाये धन के बदलें में नवनिर्मित भवन में उचित हिस्सेदारी प्राप्त कर लेवे। प्रथम पक्ष इस खोज व प्रयास में रहे कि कोई ऐसा व्यक्ति मिल जावे जो उचित शर्तों पर निर्माण कार्य करवाये जिससे प्रथम पक्ष अपनी इच्छानुसार बिषयाकित्त आराजी की भूमि से वांछित लाभ प्राप्त कर सके। इस सिलसिले में हम प्रथम पक्ष ने कई लोगों से सम्पर्क कर वार्ता किया। इसी तलाश में द्वितीय पक्ष के बारे में पता चला जो इस प्रकार के बहुमंजिली व्यवसायिक भवनो का निर्माण शहर गोरखपुर में सफलतापूर्वक करवा चुके हैं और निर्माण सम्बन्धी पूरा अनुभव रखते हैं।

अतः प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष से सम्पर्क करके अपनी इच्छा से द्वितीय पक्ष को अवगत कराया और आमन्त्रित किया कि द्वितीय पक्ष उचित शर्तों पर बिषयाकित्त आराजी की भूमि पर बहुमंजिला भवन का निर्माण अपने स्वयं के धन से करवा देवे और उसके एवज में उचित हिस्सेदारी नवनिर्मित भवन में प्राप्त कर लेंवे। द्वितीय पक्ष ने प्रथम पक्ष के प्रस्ताव पर गम्भीरता से विचार किये और बिषयाकित्त आराजी की भूमि पर भवन निर्माण करवाने को तैयार हो गये तथा दोनो पक्षों की आपसी सहमति (इस विलेख में आगे वर्णित शर्तों पर) से यह तय पाया गया कि द्वितीय पक्ष, प्रथम पक्ष के स्वामित्व वाली बिषयाकित्त आराजी की भूमि पर नियमानुसार मानचित्र स्वीकृत कराकर बहुमंजिला भवन का निर्माण अपना धन लगाकर करवा देंगे और लगाये गये धन के एवज में नवनिर्मित भवन के तयशुदा प्रतिशत के तनहा स्वामी हो जायेंगे तथा कामन उपयोग वाले स्थान को छोड़कर शेष निर्माण के मालिक प्रथम पक्ष होंगे।

*Asmita*



*manish Agnani*



FOR ARBITRATOR PVT. LTD.

DIRECTOR



ज्ञात हो कि इस सम्बन्ध में पक्षकारों के बीच आपसी सहमति से निम्नलिखित शर्तें तय पायी गयी जो पक्षकारों को स्वीकार हैं:-

1. यहकि विषयांकित आराजी की भूमि पर बहुमंजिले भवन निर्माण हेतु यह अनुबन्ध विलेख (बिल्डर्स एग्रीमेन्ट) पक्षकारों द्वारा निष्पादित किया जा रहा है।
2. यहकि विषयांकित आराजी की भूमि पर बहुमंजिले भवन के निर्माण हेतु मानचित्र द्वितीय पक्ष द्वारा अपने स्वयं के खर्च से स्वीकृत करवाया जायेगा और मानचित्र स्वीकृत करवाने में लगने वाले धन के अलॉवा अन्य सहयोग आवश्यकतानुसार प्रथम पक्ष द्वारा दिया जायेगा।
3. यह कि विषयांकित आराजी की भूमि पर द्वितीय पक्ष द्वारा अपने स्वयं के धन से बेसमेन्ट, लोअर ग्राउन्ड फ्लोर, अपर ग्राउन्ड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर व द्वितीय तल के भवन का निर्माण करवाया जायेगा जिसमें बेसमेन्ट में पार्किंग की ब्यवस्था की जायेगी।
4. यहकि पर भवन निर्माण के लिये गोरखपुर विकास प्राधिकरण गोरखपुर द्वारा मानचित्र स्वीकृत होने के बाद द्वितीय पक्ष को प्रश्नगत आराजी पर निर्माणयोग्य कब्जा प्राप्त होने के दो वर्ष के अन्दर द्वितीय पक्ष द्वारा अपने स्वयं के खर्च से भवन का निर्माण पूरा करा लिया जायेगा।
5. यह कि यह बिल्डर्स एग्रीमेन्ट विषयांकित भूमि पर नये बहुमंजिले भवन के निर्माण हेतु निष्पादित किया जा रहा है और विषयांकित भूमि पर मौजूद कोई मलवा या निर्माण आदि इस बिल्डर्स एग्रीमेन्ट का अंश नहीं है साथ ही साथ यह भी तय पाया गया कि ऐसे किसी मलवा या निर्माण को हटाकर निर्माणयोग्य कब्जा प्रदान करने की जिम्मेदारी प्रथम पक्ष की ही होगी।
6. यहकि निर्माण कार्य में कोई विधिक अड़चन आती है तो उस दशा में भवन निर्माण की जो समयावधि सुनिश्चित की गयी है, वह स्वतः बढ़ जायेगी किन्तु ऐसी घटना जिसे टाला न जा सके, जैसे-बाढ़, भूकम्प, शासकीय नोटिस, सामान की अनुपलब्धता आदि के कारण भवन निर्माण में कोई कठिनाई आती है तो उस दशा में दोनों पक्ष आपस में मिल-बैठकर आपसी सहमति से भवन निर्माण के लिए निर्धारित समय सीमा बढ़ा लेंगे।

*Asude*



*manish Arund*



FOR ARBIT INFRATEL PVT. LTD.

*Manish Arund*



DIRECTOR



7. यहकि निर्धारित समयावधि मे निर्माण कार्य को कराने के सम्बन्ध में सभी प्रकार के अन्य शासकीय अभिकरण से अनुमति/अनापत्ति इत्यादि जो भी जरूरी होगा, को पूरा करने की जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की रहेगी और इस सम्बन्ध में लगने वाले सभी खर्चो को द्वितीय पक्ष स्वयं वहन करेगें, अलबत्ता कि इस सिलसिले में धन के अतिरिक्त कोई ऐसा सहयोग जो प्रथम पक्ष से अपेक्षित होगा, को प्रथम पक्ष द्वारा बिना किसी बिलम्ब के मुहैया कराया जायेगा।
8. यहकि बहुमंजिले भवन के विधिसम्मत निर्माण व उसकी गुणवत्ता की निगरानी व निरीक्षण करते रहने का अधिकार प्रथम पक्ष को भी रहेगा तथा इस सम्बन्ध में यदि कोई सुझाव देना चाहेगें तो द्वितीय पक्ष को दे सकते हैं, परन्तु निर्माण कार्य को रोकने या उसमें बाधा उत्पन्न करने का कोई अधिकार प्रथम पक्ष को नहीं प्राप्त रहेगा।
9. यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा स्वीकृत मानचित्र के अनुसार निर्माण करवाया जायेगा और इस प्रकार से निर्मित भवन के प्रत्येक तल में प्रथम व द्वितीय पक्ष अपना अपना तयशुदा प्रतिशत प्राप्त करेगें।
10. यहकि प्रस्तावित भवन का पूर्ण निर्माण कार्य जिसमें कामन एरिया के बिजली, बायरिंग, कलरिंग व फ्लोरिंग आदि सम्मिलित है, द्वितीय पक्ष द्वारा कराया जायेगा।
11. यहकि नवनिर्मित भवन में लिफ्ट, ट्रान्सफारमर, अग्निशमन हेतु आवश्यक यन्त्र व जनरेटर की ब्यवस्था आश्यकतानुसार द्वितीय पक्ष अपने खर्च से करेगें।
12. यहकि द्वितीय पक्ष भवन के निर्माण में प्रयोग किये जाने वाले मटेरियल साज-सज्जा की गुणवत्ता को विशेष रूप से ध्यान रखेगें।
13. यहकि इस विलेख के साथ संलग्न मानचित्र के अनुसार नवनिर्मित भवन में 25 प्रतिशत हिस्सा जिसे लाल रंग से दर्शाया गया है के तनहा स्वामी प्रथम पक्ष के अशोक अग्रवाल होंगे व 17.5 प्रतिशत हिस्सा जिसे नीला रंग से दर्शाया गया है के तनहा स्वामी प्रथम पक्ष के मनीष अग्रवाल होंगे तथा द्वितीय पक्ष अपने द्वारा निर्माण में लगाये गये समस्त धन के एवज में नवनिर्मित भवन के 57.5 प्रतिशत हिस्से के तनहा मालिक हो जायेगें जिसे संलग्न मानचित्र में हरे रंग से दर्शाया गया है। द्वितीय पक्ष के इस 57.5 प्रतिशत निर्माण के स्वामित्व व कब्जा से प्रथम पक्ष का कोई वास्ता

Ashok



Manish Aggarwal



FOR ARBIT INFRATEL PVT LTD.

Abhishek Aggarwal




DIRECTOR




व सरोकार किसी भी प्रकार नहीं रहेगा तथा इस निर्माण को प्रत्येक प्रकार से अन्तरित करने स्वयं उपयोग उपभोग करने व किराये पर देने आदि का अधिकार द्वितीय पक्ष को होगा, इसी प्रकार जिस हिस्से के तनहा मालिक काबिज प्रथम पक्ष होंगे उस हिस्से के स्वामित्व व कब्जा से द्वितीय पक्ष का किसी भी प्रकार का कोई वास्ता व सरोकार नहीं रहेगा तथा इस निर्माण को प्रत्येक प्रकार से अन्तरित करने स्वयं उपयोग उपभोग करने व किराये पर उठाने का एकमात्र अधिकार प्रथम पक्ष को होगा। साथ ही साथ पक्षों के मध्य आपसी सहमति से तय शर्तों के अनुसार संलग्न मानचित्र में पीले रंग से प्रदर्शित भाग के प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष अपने अपने उपरांकित अंश के मुताबिक संयुक्त रूप से मालिक काबिज रहेंगे।

14. यह कि उपरोक्तानुसार निर्मित भवन में प्राप्त हिस्सों को दोनों पक्ष संयुक्त रूप से किराये पर देने के लिये रजामन्द है कि भवन में किसी भी पक्ष के हिस्से को बिना पृथक किये (बिना कोई दिवाल चलाये) ही पूरे भवन/पूरे तल को किराये पर देंगे और इस प्रकार से प्राप्त किराये की रकम में प्रथम पक्ष के अशोक अग्रवाल की हिस्सेदारी 25 प्रतिशत व प्रथम पक्ष के मनीष अग्रवाल की हिस्सेदारी 17.5 प्रतिशत व द्वितीय पक्ष की हिस्सेदारी 57.5 प्रतिशत रहेगी व साथ ही साथ सभी पक्ष अपने अपने अंश में प्राप्त किराये की धनराशि पर अपना अपना समस्त देय टैक्स स्वयं अदा करेंगे और इस प्रकार से निष्पादित होने वाले किरायेदारी विलेख में जो भी स्टाम्प शुल्क अदा करना होगा उसे सभी पक्ष अपने उपरोक्त हिस्सेदारी के अनुपात में अदा करेंगे।
15. यह कि कोई भी पक्ष बिना दूसरे पक्ष की अनुमति के अपने हिस्से का अन्तरण नहीं करेगा और यदि किसी पक्ष को अपने हिस्से को बेचना जरूरी हो जाता है तो पहले वह इस विलेख के अन्य पक्ष के समक्ष विक्रय का प्रस्ताव रखेंगे और इन्कार के बाद ही किसी अन्य को सबकी सहमति से बेचा जा सकता है और साथ ही साथ किसी भी पक्ष को अपने हिस्से को बंधक रखकर किसी बैंक या संस्था से कोई ऋण नहीं लिया जायेगा।
16. यहकि इस विलेख के निष्पादन व पंजीकृत कराने में लगने वाले समस्त खर्चों को द्वितीय पक्ष वहन करेंगे।


FOR ARBIT INFRA TEL PVT. LTD.



DIRECTOR





17. यहकि किन्हीं कारणों से इस विलेख में अंकित किन्हीं शर्तों के सम्बन्ध में कोई मतभेद पक्षकारों के बीच कभी पैदा हो जाता है तो उसके निपटारे के लिए दोनों पक्षों द्वारा पंचाट नियुक्त करके मामले का निपटारा किया जायेगा ।
18. यहकि भवन में निर्माण करायी गयी सीढ़ी, सेटबैंक, पैसेज, पार्किंग आदि कामन एरियाज का प्रयोग दोनों पक्षकारों एवं उनके अध्यासियों द्वारा संयुक्त रूप से प्रयोग किया जावेगा। किसी भी पक्षकार या उनके अन्तरिती या किरायेदार द्वारा ऐसे कामन उपयोग वाले हिस्से पर किसी तरह का कोई अतिक्रमण या अवरोध पैदा नहीं किया जावेगा।
19. यहकि निर्माण कराये जाने वाले भवन में द्वितीय पक्ष द्वारा बोरिंग कराया जावेगा तथा बिजली, पानी नाली ड्रेनेज व ट्वायलेट, ग्रीनरी, की व्यवस्था भी द्वितीय पक्ष द्वारा किया जायेगा।
20. यहकि प्रत्येक पक्ष अपने-अपने अंश का आयकर, गृहकर, जलकर, जी एस टी, प्राधिकरण द्वारा भवन निर्माण पूर्ण होने के बाद भविष्य में अपेक्षित धनराशि आदि जो भी नियमों के अनुसार देय होगा, उसे स्वयं अदा करेंगे।
21. यह कि भविष्य में भवन निर्माण मे यदि कोई ऐसी कमी पायी जाती है जो निर्माण सम्बन्धी है तो उसके लिये प्रथम पक्ष किसी भी दशा में जिम्मेदार नही होंगे।
22. यह कि निर्मित भवन में कामन पैसेज, सीढ़ी, पार्किंग, सेटबैंक इत्यादि स्थान जो पक्षकारों व उनके अन्तरियों के संयुक्त प्रयोग में रहेगी के सम्बन्ध में यह तय पाया गया कि ऐसे कामन उपयोग वाले स्थानों के अनुरक्षण (मेन्टीनेन्स) हेतु प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष या उनके द्वारा अधिकृत किसी प्रतिनिधि/एजेन्सी द्वारा जो भी मेन्टीनेन्स चार्ज निर्धारित किया जायेगा या उसमें समय-समय पर बढोत्तरी की जावेगी, के अदा करने की जिम्मेदारी भवन के समस्त अध्यासियों या पक्षकारों द्वारा आबाद किरायेदारान द्वारा अदा किया जायेगा, ताकि इस बहुमंजिली व्यवसायिक काम्प्लेक्स का मेन्टीनेन्स, सुचारु रूप से होता रहे।
23. यहकि निर्माण से सम्बन्धित किसी भी प्रकार के (मटेरियल लेबर या कान्ट्रेक्टर) के बकाया/भुगतान का पूर्ण दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा।

*Asub*  


*manish Agrawal*  


FOR ARBIT INFRA TEL PVT. LTD.  
  
 DIRECTOR

## विक्रय अनुबंध विलेख (बिल्डर)

प्रतिकल- 0 स्टाम्प शुल्क- 3107000 बाजारी मूल्य- 44381000 पंजीकरण शुल्क - 20000 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 80 योग : 20080


श्री आर्बिट इन्फ्राटेल प्रा० लि० गोरखपुर द्वारा

अभिषेक अग्रवाल अधिकृत पदाधिकारी/ प्रतिनिधि.

कुलुशी श्रीअरुण अग्रवाल

व्यवसाय : व्यापार

निवासी: 41, हरिओमनगर फेज 2, सिदिल लाइन्स, गोरखपुर



श्री. आर्बिट इन्फ्राटेल प्रा० लि० गोरखपुर अभिषेक अग्रवाल अधिकृत  
द्वारा पदाधिकारी/ प्रतिनिधि

ने यह लेखण इस कार्यालय में दिनांक

06/08/2018 एव 03:01:27 PM बजे

निबंधन हेतु पेश किया।

17291

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

योगेन्द्र प्रतोप सिंह

उप निबंधक सादर प्रथम

गोरखपुर

06/08/2018

श्री अचिनाश पाल

कनिष्ठ सहायक (निबंधन) - नियमित



24. यह कि इस अनुबन्ध विलेख में वर्णित उपरोक्त शर्तों के अतिरिक्त यह भी तय पाया गया कि नवनिर्मित भवन के लिये बिजली के कनेक्शन व पावर बैकअप आदि के लिये दोनो पक्ष अपने अपने तयशुदा प्रतिशत के ही अनुसार खर्च वहन करेंगे।
25. यह कि भविष्य में गोरखपुर विकास प्राधिकरण गोरखपुर द्वारा स्वीकृत मानचित्र व इस विलेख के साथ संलग्न मानचित्र में भिन्नता के कारण पक्षों के हिस्साकसी में कोई परिवर्तन होता है या किन्ही शर्तों में परिवर्तन होता है तो उस दशा में पक्षकारगण अपने तयशुदा प्रतिशत के अनुसार अपने अपने हिस्से को अलग अलग रंग से दर्शाते हुये नया नक्शा नजरी तैयार कर उसे संलग्न करते हुये अनुपूरक विलेख निष्पादित कर निबन्धित करा लेंगे।

इस प्रकार इस विलेख को पक्षकारान अपने-अपने स्वेच्छा वो स्वस्थ बुद्धि से बिना किसी भी प्रकार के जोर व दबाव के तथा खूब सोच समझकर व पढ़ व समझकर निष्पादित करते हुए साक्षियों के समक्ष अपना-अपना हस्ताक्षर बना व अंगूठा चिन्हों को लगा दिया है कि समय पर काम आवे व प्रमाण रहे जो दोनों पक्षों के उत्तराधिकारियों पर भी प्रभावी व बाध्यकारी होगा।

तफसील भूमि अन्तर्गत मौजा बशारतपुर, तप्पा कस्बा परगाना- हवेली तहसील सदर, जिला गोरखपुर के आराजी नम्बर 1002 व 1003 (एक हजार दो व एक हजार तीन) कुल रकबा 14027 वर्ग फीट (चौदह हजार सत्ताइस) यानी 1303.625 वर्ग मीटर (एक हजार तीन सौ तीन दशमलव छः दो पाँच वर्गमीटर) जिसका नगर निगम गोरखपुर में मकान संख्या 185 बशारतपुर /पूर्वी के रूप में कर निर्धारण हुआ है, प्रथम पक्ष अपने सम्पूर्ण हक व हिस्से पर भवन निर्माण के लिये यह बिल्डर्स एग्रीमेन्ट निष्पादित किये जिसकी चौहददी निम्नलिखित है:-

चौहददी-

पूरब- मकान अन्य ब्यक्ति जो पहले वेल्सन लूथर का था।

पश्चिम- मेडिकल रोड ( असुरन चौराहा के बाद से एच0 एन0 सिंह चौराहा तक जाने वाली सड़क)।

उत्तर- सम्पत्ति विश्वजीत प्रताप सिंह जो पहले वेल्सन लूथर का था

दक्षिण- बाउन्ड्रीवाल एम कलेन्डर।

*Asub*



*manish Kumar*



FOR ARBIT INFRATEL PVT. LTD.

*Manish Kumar*

DIRECTOR




निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता: 1

श्री अशोक कुमार अग्रवाल, पुत्र श्री सुखदेव प्रसाद

निवासी: दिलेजाकपुर गोरखपुर

व्यवसाय: व्यापार




विक्रेता: 2

श्री मनीष अग्रवाल, पुत्र श्री सुखदेव प्रसाद

निवासी: 288-बी, पुर्देलपुर, थाना कोतवाली, गोरखपुर

व्यवसाय: व्यापार

*manish Agrwal*



विक्रेता: 3

श्री आर्बिट इन्फ्राटेल प्रा० लि० गोरखपुर के द्वारा

अभिषेक अग्रवाल, पुत्र श्री सीताराम अग्रवाल

निवासी: 41, हरिओमनगर फेज 2, सिविल लाइन्स, गोरखपुर

व्यवसाय: व्यापार

*Arbith Agrwal*



ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान


पहचानकर्ता: 1

श्री अनन्त अग्रवाल, पुत्र श्री अशोक कुमार अग्रवाल

निवासी: 24, गैस गोदाम लेन, पुर्देलपुर, बेला कोचिंग के पास, गोरखपुर

व्यवसाय: व्यापार

*Anant Agrwal*



पहचानकर्ता: 2

श्री आनन्द मिश्रा, पुत्र श्री स्व० रघुवंश प्रसाद मिश्रा

निवासी: फ्लैट नं०- 7, लहरी विल्डिंग विवेक होटल के पास बैंक रोड, गोरखपुर

व्यवसाय: व्यापार




रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

*Shri*  
योगेन्द्र प्रताप सिंह  
उप निबंधक: सदर प्रथम  
गोरखपुर

ने की। प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे  
नियमानुसार लिए गए हैं।  
टिप्पणी:

श्री अदिनाश पाल  
कनिष्ठ सहायक (निबंधन) -  
निर्दिष्ट

TOTAL LAND AREA=14027.00 SQ.FT.



*Asude*



*Manish Arora*



BASEMENT FLOOR PLAN

FOR ARBIT INFRATEL PVT. LTD.


*Abhishek Singh* DIRECTOR



TOTAL LAND AREA=14037.00 SQ.FT.


81.3

83



108.5

108.5




52.5  
R O A D

FOR ARCHITECTURAL INT. USE  
Director

BASEMENT FLOOR PLAN

TOTAL LAND AREA=14027.00 SQ.FT.



*Asude*



*manish Asund*


LOWER AND UPPER GROUND FLOOR PLAN



FOR ARBIT INFRATEL PVT. LTD.  
*Abinidh S. Suresh*  
 DIRECTOR



TOTAL LAND AREA - 1461.30 SQ. FT.




R O A D

FOR ARBITRATOR'S USE  
DIRECTOR

LOWER AND UPPER GROUND FLOOR PLAN

TOTAL LAND AREA=14027.00 SQ.FT.



*Asude*



*marim Asmud*

**FIRST AND SECOND FLOOR PLAN**



FOR ARBIT INFRATEL PVT. LTD.

*Abdullah Ayman*  
DIRECTOR



TOTAL LAND AREA - 1401700 SQ.FT.




FOR ARBIT INFRATEL PROJECT

DIRECTOR

FIRST AND SECOND FLOOR PLAN

TOTAL LAND AREA=14027.00 SQ.FT.



*Assude*

*manish Agrawal*


FOR ARBIT INFRATEL PVT. LTD.

*Abul Kalam* DIRECTOR

**TERRACE FLOOR PLAN**



TOTAL LAND AREA=14057.00 SQ.FT.



FOR ARCHITECTURAL PVT. LTD.

*Handwritten signature*  
DIRECTOR

TERRACE FLOOR PLAN

नोट - इस विवेक के साथ कुल चार प्रति मक्का नगरी  
मंलग्न हैं।

Anand  


Manish Arora  


FOR ARBIT INFRA TEL PVT. LTD.  
Manish Arora  
DIRECTOR  



साक्षी अमन अश्वतथ s/o अशोक कुमार अग्रवाल  
स्वयं रोड, गैंग गौदाम गली, बेल के सामने, गोरखपुर

साक्षी Anand Kumar Mishra s/o Late R. P. Mishra  
Flat no-7, Lohini Chambers, Bank Road  
Gorakhpur.

प्रारूपक व तैयारीकर्ता  
Manish Arora  
अच्युतानन्द शुक्ल  
एडवोकेट  
दिनांक 06/08/2018

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 14206 के पृष्ठ 253 से 280 तक  
क्रमांक 7234 पर दिनांक 06/08/2018 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

  
योगेन्द्र प्रताप सिंह

उप निबंधक : सदर प्रथम

गोरखपुर  
06/08/2018

